संख्या- 27 / 2016 / 87 /चार-2016-33 (बजट)/2015

प्रेषक,

अनीता सी0 मेश्राम
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय ,उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ :: दिनांक 15 फरवरी ,2016

विषय:- उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार परिसर में आर्काइवस गैलरी के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार परिसर में आर्काइवस गैलरी के निर्माण किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, निमार्ण इकाई, हरदोई द्वारा गठित आगणन धनराशि रू0 1615.67 लाख का परीक्षण प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा करते हुए कार्य की लागत रू0 1419.51 लाख मूल्यांकित की गयी है । प्रायोजना के परीक्षण के दौरान प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा दिये गये परामर्श एवं तद् आलोक में लिये गये निर्णयानुसार प्रश्नगत प्रायोजना में प्रस्तावित दो नग म्यूरल्स /स्कल्पचर (Sculpture) हेतु फिलहाल प्रस्तावित धनराशि रू0 200.00 लाख का विस्तृत आगणन/प्रारूप आदि का पृथक से निर्धारण कर इसका अलग आगणन गठित किया जायेगा और इसे प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित भवन के पूर्ण हो जाने के उपरान्त प्रस्तावित आर्काइवस गैलरी के संचालन हेतु आवश्यक अन्य वस्तुओं / सामग्रियों के साथ समेकित आगणन गठित कर शासन केा अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस प्रकार अब उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार परिसर में आर्काइवस गैलरी के निर्माण हेतु मूल्यांकित लागत धनराशि रू0 1419.52 लाख में से फिलहाल दो नग म्यूरल्स /स्कल्पचर (Sculpture) हेतु प्रस्तावित धनराशि रू0 200.00 लाख को घटाते हुए मूल्यांकित धनराशि रू0 1219.51 लाख का कार्य कराया जाना है। अतएव वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार परिसर में आर्काइवस गैलरी के निर्माण के जाने हेतु कार्य की मूल्यांकित लागत धनराशि रू0 1219.51 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति तथा धनराशि रू0 200.00 लाख (रूपये दो करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि को राजकोष से आहरित कर वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमानुसार उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, निमार्ण इकाई, हरदोई को उक्त निर्माण कार्य हेतु आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा, जो संलग्न आगणन के सापेक्ष नियमानुसार प्रश्नगत कार्य की अनुमोदित मात्राओं हेतु व्यय करेंगे।

(3) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

(4) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण /सक्षम लोक आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(5) प्रायोजना प्रस्ताव / आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग की वर्ष 2014 की अनुसूची दरों के आधार पर किया गया है। प्रायोजनान्तर्गत कतिपय ऐसी कार्यमदें जो लोक निर्माण विभाग की अनुसूची दरों में उपलब्ध नहीं है, उन कार्यमदों की लागत का आकलन बाजार दरों अथवा डी0एस0आर0 के आधार पर किया गया है। तद्नुसार प्रभाग द्वारा लागत का आकलन किया गया है।

(6) प्रायोजनान्तर्गत एयरकन्डीशनिंग सिस्टम , स्पेशल लाइटिंग ,मूरल /स्कल्पचर , एल0टी0 पैनल,साउण्ड ,एक्वास्टिक व लाइटिंग सिस्टम का प्राविधान किया गया है। प्रभाग का मत है कि क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूँकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: प्रशासनिक विभाग से यह अपेक्षा की जाती है कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

(7) प्रायोजनान्तर्गत भवन निर्माण के कतिपय विशिष्टियॉ जैसे रेड सैण्ड स्टोन, एल्युमूनियम स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग , ग्रेनाइट स्टोन,बुड ब्लाक ,फ्लोरिंग,मार्बल स्टोन, फाल्स सीलिंग एवं वाल पेनलिंग आदि जो कि लोक निर्माण विभाग की निर्धारित विशिष्टियों से उच्च है, के प्रयोग पर नियमानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर ही निर्माण कराया जायेगा।

(8) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय। निदेशक, संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0 तथा कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति /द्विरावृत्ति न हो ।

2 - उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015 -16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92- के अन्तर्गत आयोजनागत मद के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय -04-कला तथा संस्कृति -800-अन्य व्यय - 33- उ0प्र0राजकीय अभिलेखागार,लखनऊ परिसर में आर्काइवल गैलरी निर्माण-24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3 - यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी -2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अनीता सी0 मेश्राम)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

संख्या - 27 / 2016 / 87 (1)/चार-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- विशेष सचिव, गोपन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र संख्या-4/2/1/2016सी0एक्स (1) दिनांक 18 जनवरी, 2016 के क्रम में
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ।
7- महा प्रबन्धक, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ ।
8- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, निमार्ण इकाई, हरदोई।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
10- निजी सचिव, मा0 संस्कृति मत्री (स्वंतत्र प्रभार) , संस्कृति विभाग।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।